रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 1999/ज्येष्ठ 31, 1921

No. 355] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 1999/JYAISTHA 31, 1921

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 1999

का. आ. 470(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रारूप नियमों को, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, उपलब्ध करा दी जाएं, 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी;

2. उक्त प्रस्तावित नियमों की बाबत कोई हितबद्ध आक्षेप या सुझाव, लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को 60 दिन में भेज सकते हैं।

प्रारूप नियम

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के विकास और उनसे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्धित किया गया है;

और, केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1985 में उद्योगों के लिए स्थान निश्चित करने के लिए उन सम्बन्धित क्षेत्र को बचाने के लिए उद्योगों के लिए स्थान निश्चित करने के लिए पर्यावरणीय के मार्ग निर्देशन सिद्धान्त जारी किए गए, स्थान के चयन को पर्यावरण संरक्षण के पूर्वविधान पूर्व उपाय के रूप में जिसे उद्योग विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान ही सम्मिलित कर लेना चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार की राय में 1985 में जो स्थान निश्चित करने के लिए बनाए गए मार्ग निर्देशन सिद्धांतों और स्थान चयन के अन्तर्गत निर्बन्धनों की गतिविधियों के पुनरीक्षण की प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक विकास को औद्योगिक योजना और निर्माण प्रसंस्करण के स्थान को दृष्टिगत रखते हुए और इन स्थान निश्चित के नियमों से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, आर्दभूमि और पुरातत्वीय संस्मारकों से संरक्षण के क्रम में नियम बनाती है;

अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) खंड (V) धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक परियोजनाओं के लगाने के लिए स्थान के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (औद्योगिक परियोजना के लगाने के लिए स्थान) नियम, 1999 है।

(2) यह राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. कतिपय उद्योगों के लगाने के लिए स्थान का प्रतिबंध—उपाबन्ध I में दी गई उद्योगों की सूची की नयी इकाई की स्थापना की निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी :—

(i) सभी नगर निगमों, नगर परिषद, नगर पंचायत (प्रत्येक राज्य में जो जिस नाम से जानी जाती हो) और 10 लाख से अधिक आबादी के नगर के चारों और 25 किलोमीटर के प्रक्षेत्र में;

(ii) उपाबन्ध II की सूची से दी गई आर्द भूमि के चारों ओर 7 किलोमीटर की प्रक्षेत्र की परिधि में;

और

(iii) राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्यों और जीव मंडल आरक्षित कोर परिक्षेत्र से चारों ओर 25 किलोमीटर पट्टी में;

(iv) राष्ट्रीय राज्य मार्गों और रेल लाइनों के दोनों ओर 0.5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में।

3. **नई इकाईयों की स्थापना के लिए कतिपय शर्तें**—उपाबन्ध I में दी गई उद्योगों की सूची की नई इकाईयों की स्थापना 7 किलोमीटर पट्टी तक के प्रक्षेत्र में और उपाबन्ध II की सूची में दी गई आद्रभूमि के चारों ओर 25 किलोमीटर पट्टी प्रक्षेत्र में अनुमति दी जा सकती है केवल उनके पश्चात् पारिस्थितिक और पर्यावरणीय पर उनके विपरीत अधिप्रभावों का सतर्कतापूर्वक निर्धारण कर लिया जाएगा।

4. **ताज समलम्ब में इकाइयों का निर्बन्धन**—उपाबन्ध I में दिए गए उद्योगों की विद्यमान इकाईयों के नई इकाई की स्थापना और उनका विस्तारण, या उनका आधुनिकीकरण ताजमहल के पश्चिम में 10,400 वर्ग किलोमीटर (लगभग) क्षेत्र में 26°45′ उत्तर और 77°15′ पूर्व से 27°45′ उत्तर और 77°15′ पूर्व और ताजमहल के पूर्व में 27°00′ उत्तर और 78°30′ उत्तर और 78°30′ पूर्व जिसे ताज समलम्ब क्षेत्र जाना जाता है; केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) के द्वारा इस प्रक्षेत्र के लिए दिए गये विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित होगा जिसका हकदार "आगरा-मथुरा क्षेत्रीय (संक्षेपण) में या उसके चारों ओर प्रदूषण उत्सर्जन की तालिका और निर्धारण" का हकदार होगा।

5. **पुरातत्वीय संस्मारक के चारों ओर नई इकाईयों की स्थापना**—उपाबन्ध III में दी गई औद्योगिक नई औद्योगिक इकाईयां उपाबन्ध IV में दिए गए महत्वपूर्ण पुरातत्वीय संस्मारकों की सूची के 7 किलोमीटर की परिधि में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

6. **अन्य अधिनियमों और नियमों को लागू होने से वर्जित न करना**—इन नियमों के उपबन्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, और उनके अन्तर्गत निर्मित नियमों जो कि अधिसूचनाओं का. आ. संख्यांक 120(अ) तारीख 1 फरवरी, 1989, का. आ. संख्यांक 114(अ) तारीख 20 फरवरी,1991, का. आ. संख्यांक 416(अ) तारीख 20 जून, 1991, का.आ. संख्यांक 319(अ) तारीख 7 मई, 1992 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अत्पीकरण में।

[सं. जे. 11013/3/96-आई ए-II(I)]
वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

उपाबन्ध-I

1. पैट्रोलियम परिस्करणी
2. रासायनिक उर्वरक
3. पैट्रो रासायनिक प्रक्षेत्र (ओलफिफ्क और ऐरोमेटिन दोनों) और मध्यवर्ती पेट्रो रासायनिक जैसे डी एम टी, कैप्रोलेक्टम एल ए बी आदि तथा आधारभूत प्लास्टिक का उत्पादन जैसे एल एल डी पी ई, एच डी पी ई, पी पी, पी वी सी
4. हाइड्रोसायनिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न
5. प्राथमिक धातुकर्मीय उद्योग (जैसे लौह और इस्पात का उत्पादन ऐल्युमिनियम तांबा, जस्ता, सीसा और लौहमिश्र धातुएं)
6. विस्कोस स्टेपिल रेसा और तन्तुसूत
7. समाकलित संचायक बैटरियां जो लेड आक्साइड और ऐंटीमनी मिश्रधातु से निर्मित है।
8. आसवनी
9. कच्चा चमड़ा और खाल और चर्म परिष्कारशाला
10, रंजक और रंजकों में मध्यवर्ती

11. नासक जीवमार

12. थोक औषधियां और भेषजिक

13. कास्टिक सोडा/क्लोरीन

14. लुगदी और कागज

15. सीमेंट।

उपाबन्ध-II

1. चिलिका उडीसा

2. केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान

3. सांभार, राजस्थान

4. बुल्लार, जम्मू और कश्मीर

5. लोकटाक, मणिपुर

6. हारिके, पंजाब

उपाबन्ध-III

1. पेट्रोलियम परिष्करणी

2. रासायनिक उर्वरक

3. पेट्रोरासायनिक प्रक्षेत्र (ओलेफिन्क और ऐरोमेटिक दोनों) और मध्यवर्ती पेट्रो रासायनिक जैसे डी एम टी, कैप्रोलेक्टम एल ए बी आदि तथा आधारभूत प्लास्टिक का उत्पादन जैसे एल एल डी पी ई, एच डी पी ई, पी पी, पी वी सी।

4. हाइड्रोसायनिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न

5. प्रारम्भिक धातुकर्मीय उद्योग (जैसे लौह और फैलाई का उत्पादन, ऐल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा और लौह मिश्र धातुएं)

6. विस्कोस स्टेपिल रेसा और तन्तु सूत

7. समाकलित संचायक बैटरियां जो लैड आक्साइड और एंटीमनी मिश्रधातु से निर्मित है।

8. आसवनी

9. कच्चा चमड़ा और खाल और चर्म परिष्कारशाला

10. लुगदी और कागज।

उपाबन्ध-IV

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिक्षेत्र	जिला	संस्मारक का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	चन्द्रगिरी	चित्तूर	राजा और रानी महल
2.	आन्ध्र प्रदेश	गोलकोन्डा	हैदराबाद	गोलकोन्डा किला
3.	असम	गरहागांव	सिबसागर	अहोम राजा का महल
4.	बिहार	नालन्दा (बार गांव)	नालन्दा	नालन्दा अर्जित क्षेत्र से संबद्ध सभी टीलें, संरचनाएं और इमारतें
5.	बिहार	कुमरहार	पटना	मौर्य महल का स्थल

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिक्षेत्र	जिला	संस्मारक का नाम
6.	बिहार	सासाराम	रोहतास	शेरशाह सुरी का मकबरा
7.	बिहार	चक्रमदास	वैशाली	प्राचीन खंडहर, वैशाली
8.	गुजरात	लोथल	अहमदाबाद	लोथल के उत्खनित अवशेष
9.	गुजरात	मोधेरा	मेहसाना	सूर्य मन्दिर
10.	गुजरात	पटना	मेहसाना	रानी की वाव
11.	जम्मू और कश्मीर	किरामची	उधमपुर	मन्दिरों का समूह
12.	जम्मू और कश्मीर	रामनगर	उधमपुर	रामनगर महल
13.	कर्नाटक	हम्पी कमलापुरम कृष्णापुरम वेंकटापुरम	बेल्लरी	संस्मारकों का समूह
14.	कर्नाटक	पट्टाडाकल	बीजापुर	मन्दिरों का समूह
15.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर	टीपु सुलतान का महल
16.	कर्नाटक	अइहोल	बीजापुर	दुर्गा मन्दिर प्रक्षेत्र
17.	कर्नाटक	बदमी	बीजापुर	जैन और विष्णु गुफाएं
18.	कर्नाटक	बीजापुर	बीजापुर	गोल गुम्बद
19.	कर्नाटक	बीजापुर	बीजापुर	इब्राहिम रोज़
20.	कर्नाटक	चीतलदुर्ग	चीतलदुर्ग	पर्वत पर दुर्ग और मन्दिर
21.	कर्नाटक	श्रीरंगपट्टनम	मंछ्या	दारिया दौलत बाग
22.	कर्नाटक	खेमिनाथपुर	मैसूर	श्री केशव मन्दिर
23.	केरल	बल्लिचेश्रिर	कन्नूर	बेकल किला
24.	महाराष्ट्र	अजंता	औरंगाबाद	अजंता गुफाएं
25.	महाराष्ट्र	एल्लोरा	औरंगाबाद	एल्लोरा गुफाएं
26.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	राबिया दौरानी का मकबरा (बीबी का मकबरा)
27.	महाराष्ट्र	धारापुरी	मुम्बई (कोलाबा)	एलिफेंटा गुफाएं
28.	महाराष्ट्र	दौलाताबाद	औरंगाबाद	दौलाताबाद किला
29.	महाराष्ट्र	सबरबन	मुम्बई	कनखेरी गुफाएं
30.	महाराष्ट्र	अलीबाग	कोलाबा	हिराकोटा का पुराना किला
31.	महाराष्ट्र	रायगढ़	कोलाबा	रायगढ़ का किला
32.	महाराष्ट्र	बथ्थरडी	नासिक	पांडव लेना गुफाएं
33.	महाराष्ट्र	जुन्नार	पुणे	जुन्नार की गुफाएं और शिलालेख
34.	महाराष्ट्र	केरला	पुणे	गुफा मन्दिरें
35.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	साहनीबार बाड़ा
36.	महाराष्ट्र	शोलापुर	शोलापुर	पुराना किला
37.	मध्य प्रदेश	खजुराहो	चत्तरपुर	पश्चिम समूह के मन्दिर
38.	मध्य प्रदेश	सांची	रायसेन	बौद्ध संस्मारक

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिक्षेत्र	जिला	संस्मारक का नाम
39.	मध्य प्रदेश	मंडु	धर	संस्मारकों के समूह
40.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर का किला
41.	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	निमर (पूर्व)	किले में स्थित महल (शाही किला)
42.	मध्य प्रदेश	सिरपुर	रायपुर	संस्मारकों के समूह (लक्ष्मण मन्दिर)
43.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली का किला
44.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र	दिल्ली	दिल्ली	सफदरजंग का मकबरा
45.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र	पुराना किला	दिल्ली	पुराना किला
46.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र	दिल्ली	दिल्ली	हुमायूं का मकबरा
47.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र	महरोली	दिल्ली	कुतब पुरातत्वीय क्षेत्र
48.	उड़ीसा	कोणार्क	पुरी	सूर्य मन्दिर
49.	उड़ीसा	भुबनेश्वर	पुरी	राजा रानी का मन्दिर
50.	उड़ीसा	जगमारा	पुरी	उदयगिरी और खण्डगिरी
51.	राजस्थान	डीग	भरतपुर	डीग का महल
52.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़	किला
53.	राजस्थान	कुम्बालगढ़	उदयपुर	कुम्बालगढ़ किला
54.	तमिलनाडु	महाबलिपुरम	चेंगईअन्ना	संस्मारक समूह
55.	तमिलनाडु	डिण्डिगल	डिण्डिगल	किला
56.	तमिलनाडु	सेंट जार्ज फोर्ट	चेन्नई	सेंट जार्ज का किला
57.	तमिलनाडु	तिरुमायम	पुदुकोट्टई	किला
58.	तमिलनाडु	गिंजी	दक्षिण आरकोट	राजगिरी और कृष्णगिरी का किला
59.	तमिलनाडु	कालुमबलूर	तिरचीनापल्ली	मुवरकोयल
60.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	आगरा का किला
61.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	ताज समूह के संस्मारक
62.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर सीकरी	आगरा	फतेहपुर सीकरी
63.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	रामबाग के संस्मारक समूह
64.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	इतिमाद-उद-दौला का मकबरा
65.	उत्तर प्रदेश	सिकन्दरा	आगरा	अकबर का मकबरा
66.	उत्तर प्रदेश	सिकन्दरा	आगरा	मरियम का मकबरा
67.	उत्तर प्रदेश	सहेत-महेत	बहराइच	श्रावस्ती का संस्मारक
68.	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी	रानी झांसी का महल
69.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ	रेसीडेन्सी भवन
70.	उत्तर प्रदेश	सारनाथ	वाराणसी	सारनाथ के उत्खनित अवशेष
71.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	जौनपुर	किला पुराना
72.	पश्चिम बंगाल	हजारदुरई	मुर्शीदाबाद	हजारदुवारी महल